Order Sheet [Contd]

Date of Order or Proceeding with Signature of presiding 24.12.2016 311 अविदक / आरोपी रमेश सिंह तोमर की ओर से श्री तेजपालिसेंह तोमर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानिसंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र एण्डोरी जिला भिण्ड की ओर से अप०क० 133/15 धारा 363, 365, 368 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश एवं न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी श्री ए०के०गुप्ता के न्यायालय से प्रवकं0 700850/16 इ०फो० प्राप्त हुआ। आवेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री तेजपाल सिंह तोमर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फो० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस धाना एण्डोरी के द्वारा उसके विरूद्ध फरियादी के द्वारा दिनांक 05.11.2015 को फरियादी सुरेश के द्वारा अपने पुत्र सौरम के अपहरण की अज्ञात रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जबिक घटना के समय आवेदक रपार्कल मेटल फिनिसिंग केमिकल्स प्रा. लि. मालनपुर में खुयूटी पर मौजूद था। दिनांक 16.08.2015 को फरियादी सुरेश सिंह व उसकी पत्नी व अन्य के द्वारा आवेदक के पुत्र बबूल, करू, भूरा की मारपीट की भी जिसकी रिपोर्ट आवेदक / आरोपी के द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी में की ई थी। उक्त प्रकरण पर से वर्तमान फरिरयादी सुरेशसिंह आवेदक/आरोपी से रंजिश रखने लगा और उस प्रकरण में राजीनामा करने की धी जसके पिगर को किया पुरे हो कर वालान न्यायालय में पेश हो चुका है। आवेदक स्थानीय निवासी है उसके मागने एवं साक्ष्य को प्रभादित करने की संभादना नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों को प्राप्तित करने की संभावना नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों को पालन करने की तैयार है। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।		Case 110 10 / 2010 41.1	
तोमर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र एण्डोरी जिला भिण्ड की ओर से अप०क० 133/15 धारा 363, 365, 368 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश एवं न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी श्री ए०के०गुप्ता के न्यायालय से प्र०कं० 700850/16 इ०फो० प्राप्त हुआ। अावेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री तेजपाल सिंह तोमर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फो० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा उसके विरुद्ध फिरायादी के द्वारा दिनांक 05.11.2015 को फिरायादी सुरेश के द्वारा अपने पुत्र सौरभ के अपहरण की अज्ञात रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जबिक घटना के समय आवेदक रपार्कल मेटल फिनिसिंग केमिकल्स प्रा. लि. मालनपुर में ड्यूटी पर मौजूद था। दिनांक 16.08.2015 को फिरायादी सुरेश सिंह व उसकी पत्नी व अन्य के द्वारा आवेदक के पुत्र बबूल, करू, भूरा की मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट आवेदक/आरोपी के द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी में की ई थी। उक्त फ्रकरण पर से वर्तमान फिरिरयादी सुरेशिसिंह आवेदक/आरोपी से रंजिश रखने लगा और उस प्रकरण में राजीनामा करने की धोंश देने लगा, जबिक आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होकर चालान न्यायालय में पेश हो चुका है। आवेदक स्थानीय निवासी है उसके भागने एवं साक्ष्य को प्रमावित करने की संभावना नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders where
उपरोक्त संबंध में विचार किया गया अभिलेख का अवलोकन	24.12.2016	तोमर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र एण्डोरी जिला भिण्ड की ओर से अप०क० 133/15 धारा 363, 365, 368 भा द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री ए०के०गुप्ता के न्यायालय से प्र०कं० 700850/16 इ०फो० प्राप्त हुआ। आवेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री तेजपाल सिंह तोमर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा उसके विरुद्ध फरियादी के द्वारा दिनांक 05.11.2015 को फरियादी सुरेश के द्वारा अपने पुत्र सौरभ के अपहरण की अज्ञात रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जबिक घटना के समय आवेदक स्पार्कल मेटल फिनिसिंग केमिकल्स प्रा. लि. मालनपुर में ड्यूटी पर मौजूद था। दिनांक 16.08.2015 को फरियादी सुरेश सिंह व उसकी पत्नी व अन्य के द्वारा आवेदक के पुत्र बबूल, करू, भूरा की मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट आवेदक/आरोपी के द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी में की ई थी। उक्त प्रकरण पर से वर्तमान फरिरयादी सुरेशसिंह आवेदक/आरोपी से रंजिश रखने लगा और उस प्रकरण में राजीनामा करने की धोंश देने लगा, जबिक आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होकर चालान न्यायालय में पेश हो चुका है। आवेदक स्थानीय निवासी है उसके भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।	

किया गया । फरियादी सुरेश सिंह तोमर के द्वारा दिनांक 5-11-15 को थाना एण्डोरी में इस आशय की रिपोर्ट करायी गयी है कि उसका नावालिंग लंडका जो कि 14 साल की उम्र का है और कक्षा 8 में पढता है कोचिंग पढने के लिये सुबह 7 बजे बकनासा गांव में गया था । वह घर वापिस नहीं आया तो कोचिंग में पढने वाले अन्य बच्चों से पूछा तो उसका कोई पता नहीं चला । इस संबंध में रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना एण्डोरी में लिखायी गयी जिसके कारण धारा 363 भा0द0सं0 के तहत अपराध पंजीबद्ध कियागया एवं विवेचना में लिया गया । दिनांक 3-3-16 को व्यपहरित को उसके घर के सामने छोड गये । उसकी दस्तयावी की गयी एवं उससे पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा आरोपी के मोटरसायकिल में उसे बिठाकर ले जाने और उसके मुंह पर कपडा डालकर उसे बेहोश करने और उसे एक कमरे में जो कि एक सून सान स्थान था में लेजाकर रखे जाना बताया गया । विवेचना के पश्चात् पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा आरोपी के विरूद धारा ३६३,३६५,३६८ भा०द०स० के अंतर्गत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है ।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि रंजिश के कारण झूटे आधारों पर उसे घटना में लिप्त किया गया है | प्रकरण में अभियोगपत्र न्यायालय में पेश हो चुका है | आरोपी दिनांक 16—12—16 से न्यायिक अभिरक्षा में है |

उपरोकत संबंध में विचार किया गया | घटना की रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध की गयी है | व्यपहरित के घर के आने के पश्चात् उसे तुरन्त पुलिस के पास नहीं लाया गया बल्कि दो दिन बाद उसे पुलिस के पास लाया गया है | व्यपहरित के कथन के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य इस बिन्दु पर नहीं है | प्रकरण में अभियोगपत्र न्चायालय में पेश हो चुका है | आरोपी दिनांक 16—12—16 से अभिरक्षा में है | प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता |

विचारोपरान्त प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुये उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा०फो० स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आरोपी की ओर से 40000/—चालीस हजार रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र पेश किये जाने पर इस निर्देश के साथ कि वह प्रत्येक पेशी दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तो उसे नियमित जमानत पर छोडा जाये।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी वापिस की जाये ।

वापिस	आदेश की प्रति सहित अर्ध हो ।	नस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड
		अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

प्रकरण में दिनांक 5-3-16 को पीडित नावालिंग की दस्तयाव हुआ । आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस किया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। (डी०सी0थपलियाल) ए.एस.जे. गोहद